न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : अशोक सांगवा, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 03/2023

1. चरणजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह उम्र 42 वर्ष जाति मजबी साकिन 27 एएस तहसील घडसाना, जिला अनूपगढ़।
2. पदमचन्द पुत्र शोभाराम जाति नाई उम्र 77 वर्ष साकिन 27 एएस–ढाणी तहसील घडसाना, जिला अनूपगढ़।
3. कृष्णला पुत्र बृजलाल उम्र 36 वर्ष जाति जाट साकिन 5 एमएलडी, तहसील घड़साना, जिला अनूपगढ़।
4. अंकुश पुत्र गुलजारीलाल जाति अग्रवाल साकिन नई मण्डी घड़साना तहसील घडसाना जिला अनूपगढ़।

अपीलांटस

वनाम

1. तहसीलदार (राजस्व), घड़साना, जिला अनूपगढ़।
2. बलकार सिंह पुत्र बिशनसिंह जाति कम्बोसिख साकिन 27 एएस, तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व तहसीलदार(राजस्व) घड़साना के आदेश दिनांक 14.08.2023

उपस्थित : 1. श्री तिलक राज चुघ, अधिवक्ता, अपीलांटस।
2. राज पैरोकार, रेस्पोडेन्ट सं. 01 ।
3. योगेन्द कुमार, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 02 की ओर से।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

|| निर्णय || दिनांक: 06.12.2024

अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 27 एएस के निवासी रेस्पोडेन्ट सं. 02 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व घडसाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2023 प्रस्तुत किया कि वाके चक 27 ए एस तहसील घड़साना में प.नं. 85/02 मु.नं. 02 का किला नं. 21 ता 25 में , प.नं. 85/10 मु.नं. 10 का किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/18 मु.नं. 9 के किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/26 मु.नं. 8 का किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/34 मु.नं. 07 का किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/42 मु.नं. 06 का किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/50 मु.नं. 5 का किला नं. 21 ता 25 में, प.नं. 85/58 मु.नं. 04 का किला नं. 21 ता 25 में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है तथा पत्थर नं. 85/02 मु.नं. 02 के किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/10 मु.नं. 10 के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता चालू है जबकि उक्त वर्णित रकबा के मालिको के द्वारा उक्त किला नं. में मंजूरशुदा रास्ता को बंद कर रखा है। उक्त रास्ता बन्द होने के कारण चक के निवासियों को सिंचाई पानी के मोघे तक जाने के लिए व इधर–उधर आने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पडता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार राजस्व घड़साना द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर अपने आदेश क्रमांक राजस्व/23/1685 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा तहसील घडसाना के चक 27 एएस का प.नं. 85/18, 85/26, 85/34, 85/42, 85/50 एवं चक 24 एएस–सी का पं.नं. 85/58 प्रत्येक के किला नं. 21 ता 25 में दो–दो बिस्वा रास्ता खुलवाये जाने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

घडसाना द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 12.05.2023 के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा एक अपील सं. 66/2023 माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर सूतरगढ द्वारा बाद विचारण अपने निर्णय दिनांक 23.06.2023 द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार घडसाना द्वारा पारित पारित आदेश क्रमांक राजस्व/23/1685 दिनांक 12.05.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार घडसाना को पुनः निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करे। माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा अपने निर्णय में यह भी माना कि तहसीलदार घडसाना द्वारा पटवारी हल्का द्वारा तथ्यों को छुपाकर की गई रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया है। तदुपरान्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घडसाना को उक्त प्रकरण रिमाण्ड होने पर तहसीलदार घडसाना द्वारा अपीलांटगण को नोटिस जारी किया गया जिसका जबाव अपीलांटगण द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील घडसाना के चक 27 एएस व चक 24 एएस–सी के पं.नं. 85/18, 85/26, 85/34, 85/42, 85/50, 85/58 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि के प्रत्येक मुरब्बा के किला न. 21 ता 25 में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। उपनिवेशन के समय इलाकहाजा में जब भूमि आवंटन हुई उसके पश्चात चक प्लान तैयार हुआ। चक प्लान के तहत प्रत्येक चक का एक नजरी नक्शा भी तैयार किया गया एवं प्रत्येक काश्तकार के खेत में पहुचने हेतु एक एक मुरब्बा के अन्तराल से चक में मुरब्बों के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत किया गया। प्रार्थीगण की भूमि घडसाना मण्डी की कूपली रोड से दक्षिण दिशा में है। कूपली रोड के विपते हुए दक्षिण दिशा में चक 24 एएस–सी के कुछ मुरब्बा कृषि भूमि है एवं चक 24 एएस–सी के मुरब्बों से दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण का चक 27 एएस है। कूपली रोड के दक्षिण दिशा के चक 24 एएस–सी के मुरब्बों व प्रार्थीगण के चक 27 एएस के मुरब्बों क काश्तकारों को घडसाना मण्डी में आने जाने हेतु उपनिवेशन के समय से स्वीकृत किला नं. 21 ता 25 के रास्तों से भारी असुविधा हो रही थी। काश्तकारों को लम्बा चौड़ा घूमकर आना पडता था। इसलिये काश्तकारों की मांग व मण्डी में सुविधाजनक तरीके से आने जाने हेतु आज से लगभग 35–40 वर्ष पूर्व कूपली रोड के दक्षिण दिशा के 24 एएस–सी के मुरब्बों व प्रार्थीगण के चक 27 एएस के मुरब्बों के किला नं 1, 10, 11, 20, 21 में एक एक मुरब्बा के अन्तराल से प्रत्येक मुरब्बों में नया रास्ता स्वीकृत कर दिया। उक्त रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। नया रास्ता स्वीकृत किये जाने के बाद चक 24 एएस–सी के मुरब्बों के किला नं. 21 ता 25 का रास्ता भी संवहन से रिकॉर्ड में दर्ज रह गया व नया रास्ता किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में दर्ज हो गया। नया रास्ता किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत होने के बाद चक के सभी काश्तकारों ने इन रास्तों से आवागमन शुरू कर दिया एवं पुराना रास्ता जो किला नं. 21 ता 25 में पूरे चक में था, व सभी रास्ते बन्द हो गये, लेकिन संहवन से रास्ता निरस्ती का आदेश जो जारी किया जाना था, वह रह गया। रिमाण्ड प्रकरण में भी पुनः हल्का पटवारी से रिपोर्ट चाही गई ता पटवारी हल्का द्वारा पुनः उक्त मुरब्बों में किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 के स्वीकृतशुदा एवं चालू रास्तों को अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्शाया एवं पूर्व में की गई रिपोर्ट में जो तथ्य वर्णित किये गये थे, अब उसके अलावा वर्णित किया गया कि उक्त गैर मुमकिन रास्ता को बंद किये जाने से उक्त रास्ते से लगने वाले मुरब्बों/ किला नं की गश्त गिरदावरी करने में भी समस्या उत्पनन हो रही है। एवं उक्त रास्ता बन्द किये जाने से आमजन में समस्या उत्पनन हो रही है। उक्त रिमाण्ड प्रकरण होने के बाद तहसीलदार घड़साना द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलांट को बिना सुनवाई का पूर्ण असवर दिये आलौच्य आदेश दिनांक 14.08.2023 को पारित किया गया। उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी के संबंध में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 28.07.2023 को पारित किया गया था जिसकी सूचना भी अपीलांट द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को दे दी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन के बावजूद भी आलौच्य आदेश पारित कर विवादित रास्ता खुलवाये जाने क आदेश पारित किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकर कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घडसाना द्वारा पारित आदेश 14.08.2023 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ

Scanned with OKEN Scanner

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि चक 27 एएस के निवासी रेस्पोडेन्ट सं. 02 ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व घड़साना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2023 प्रस्तुत किया कि वाके चक 27 ए एस तहसील घडसाना में प.नं. 85/02 मु.नं. 02 का किला नं. 21 ता 25 में , प.नं. 85/10 मु.नं. 10 का किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/18 मु.नं. 9 के किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/26 मु.नं. 8 का किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं 85/34 मु.नं. 07 का किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/42 मु.नं 06 का किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/50 मु.नं. 5 का किला नं. 21 ता 25 मे, प.नं. 85/58 मु.नं. 04 का किला नं. 21 ता 25 में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है तथा पत्थर नं. 85/02 मु. नं. 02 के किला नं. 21 ता 25 में, पत्थर नं. 85/10 मु.नं. 10 के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता चालू है जबकि उक्त वर्णित रकबा के मालिको के द्वारा उक्त किला नं. में मंजूरशुदा रास्ता को बंद कर रखा है। उक्त रास्ता बन्द होने के कारण चक के निवासियों को सिंचाई पानी के मोघे तक जाने के लिए व इधर-उधर आने जाने के लिए परेशानी का सामना करना पडता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार राजस्व घडसाना द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर अपने आदेश क्रमांक राजस्व/23/1685 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा तहसील घड़साना के चक 27 एएस का प.नं. 85/18, 85/26, 85/34, 85/42, 85/50 एवं चक 24 एएस-सी का पं.नं. 85/58 प्रत्येक के किला नं. 21 ता 25 में दो-दो बिस्वा रास्ता खुलवाये जाने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार राजस्व घडसाना द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 12.05.2023 के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा एक अपील सं. 66/2023 माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर सूतरगढ़ द्वारा बाद विचारण अपने निर्णय दिनांक 23.06.2023 द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार घडसाना द्वारा पारित पारित आदेश क्रमांक राजस्व/23/1685 दिनांक 12.05.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार घड़साना को पुनः निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करे। माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा अपने निर्णय में यह भी माना कि तहसीलदार घडसाना द्वारा पटवारी हल्का द्वारा तथ्यों को छुपाकर की गई रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया है। तदुपरान्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घडसाना को उक्त प्रकरण रिमाण्ड होने पर तहसीलदार घड़साना द्वारा अपीलांटगण को नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब अपीलांटगण द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील घडसाना के चक 27 एएस व चक 24 एएस-सी के पं.नं. 85/18, 85/26, 85/34, 85/42, 85/50, 85/58 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि के प्रत्येक मुरब्बा के किला नं. 21 ता 25 में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। उपनिवेशन के समय इलाकहाजा में जब भूमि आवंटन हुई उसके पश्चात चक प्लान तैयार हुआ। चक प्लान के तहत प्रत्येक चक का एक नजरी नक्शा भी तैयार किया गया एवं प्रत्येक काश्तकार के खेत में पहुचने हेतु एक एक मुरब्बा के अन्तराल से चक में मुरब्बों के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता स्वीकृत किया गया। प्रार्थीगण की भूमि घड़साना मण्डी की कूपली रोड़ से दक्षिण दिशा में है। कूपली रोड़ के चिपते हुए दक्षिण दिशा में चक 24 एएस-सी के कुछ मुरब्बा कृषि भूमि है एवं चक 24 एएस-सी के मुरब्बों से दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण का चक 27 एएस है। कूपली रोड़ के दक्षिण दिशा के चक 24 एएस-सी के मुरब्बों व प्रार्थीगण के चक 27 एएस के मुरब्बों क काश्तकारों को घड़साना मण्डी में आने जाने हेतु उपनिवेशन के समय से स्वीकृत किला नं. 21 ता 25 के रास्तों से भारी असुविधा हो रही थी। काश्तकारों को लम्बा चौड़ा घूमकर आना पडता था। इसलिये काश्तकारों की मांग व मण्डी में सुविधाजनक तरीके से आने जाने हेतु आज से लगभग 35-40 वर्ष पूर्व कूपली रोड के दक्षिण दिशा के 24 एएस-सी के मुरब्बों व प्रार्थीगण के चक 27 एएस के मुरब्बों के किला नं 1, 10, 11, 20, 21 में एक एक मुरब्बा के अन्तराल से प्रत्येक मुरब्बों में नया रास्ता स्वीकृत कर दिया। उक्त रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद भी हो

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ

Scanned with OKEN Scanner

चुका है। नया रास्ता स्वीकृत किये जाने के बाद चक 24 एएस–सी के मुरब्बों के किला नं. 21 ता 25 का रास्ता भी संवहन से रिकॉर्ड में दर्ज रह गया व नया रास्ता किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में दर्ज हो गया। नया रास्ता किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत होने के बाद चक के सभी काश्तकारों ने इन रास्तों से आवागमन शुरू कर दिया एवं पुराना रास्ता जो किला नं. 21 ता 25 में पूरे चक में था, व सभी रास्ते बन्द हो गये, लेकिन संहवन से रास्ता निरस्ती का आदेश जो जारी किया जाना था, वह रह गया। रिमाण्ड प्रकरण में भी पुनः हल्का पटवारी से रिपोर्ट चाही गई ता पटवारी हल्का द्वारा पुनः उक्त मुरब्बों में किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 के स्वीकृतशुदा एवं चालू रास्तों को अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्शाया एवं पूर्व में की गई रिपोर्ट में जो तथ्य वर्णित किये गये थे, अब उसके अलावा वर्णित किया गया कि उक्त गैर मुमकिन रास्ता को बंद किये जाने से उक्त रास्ते से लगने वाले मुरब्बों/ किला नं की गश्त गिरदावरी करने में भी समस्या उत्पनन हो रही है। एवं उक्त रास्ता बन्द किये जाने से आमजन में समस्या उत्पनन हो रही है। उक्त रिमाण्ड प्रकरण होने के बाद तहसीलदार घड़साना द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलांट को बिना सुनवाई का पूर्ण असवर दिये आलौच्य आदेश दिनांक 14.08.2023 को पारित किया गया। उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी के संबंध में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 28.07.2023 को पारित किया गया था जिसकी सूचना भी अपीलांट द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को दे दी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन के बावजूद भी आलौच्य आदेश पारित कर विवादित रास्ता खुलवाये जाने क आदेश पारित किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकर कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घड़साना द्वारा पारित आदेश 14.08.2023 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमावे।

रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। पूर्ण न्यायिक प्रकिया अपना कर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिसम्मत् त्रुटि नहीं है।

रेस्पोडेन्ट सं. 02 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि चक 27 एएस के पं.नं. 85/18, 85/26, 85/34, 85/42, 85/50, व चक 24 एएस–सी के पं. सं. 85/58 में प्रत्येक मुरब्बा के किला नं. 21 ता 25 में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 द्वारा पूर्व में रास्ता खुलवाया गया था जिसे अपीलांटस द्वारा बंद कर दिया है। उक्त रास्ते को बंद किये जाने से चक 24 ए एस के काश्तकारों को अपने खेतों व ढाणियों में जाने में समस्या हो रही है तथा उक्त रास्ते से लगने वाले मुरब्बों /किला नम्बर की गश्त गिरदावरी करने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर कब्जा करने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.06.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड करते हुए वर्णित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से चाही गई रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा यह स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया कि किला नं. 21 ता 25 में जो पूर्व स्वीकृतशुदा रास्ता हेतु भूमि थी, उस पर रास्ता कब से चालू था तथा कब से बंद किया गया एवं किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता चालू है या नहीं। अपीलांटस की कृषि भूमि में किला नं. 21 ता 25 के बदले किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे नया रास्ता स्वीकृति के पश्चात पूर्व में स्वीकृत रास्ते को निरस्त नहीं किया गया। केवल हल्का पटवारी की तथ्यों को छुपाते हुए की गई रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः हल्का पटवारी से चाही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

गई। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 19.07.2023 में वर्णित किया कि चक 27 एएस पं.नं. 85/18, 85/26, 85/34, 85/42, 85/50, व चक 24 एएस–सी के पं. सं. 85/58 में प्रत्येक मुरब्बा के किला नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। उक्त मुरब्बों के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे रास्ता दर्ज रिकॉर्ड होने के बावजूद भी हल्का पटवारी द्वारा किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे दर्ज रास्ते के बारे में रिपोर्ट में अंकन नहीं किया गया ना ही किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में दर्ज रास्ता चालू है अथवा नहीं है, का अंकन किया गया। अतः हल्का पटवारी द्वारा पुनः तथ्यों को छुपाकर की गई रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जमाबन्दी, नजरी नक्शा के अवलोकन से पाया गया है कि चक 27 एएस पं.नं. 85/18, 85/26, 85/34, 85/42, 85/50, व चक 24 एएस–सी के पं. सं. 85/58 के प्रत्येक मुरब्बों के किला नं. 21 ता 25 में रास्ता दर्ज रिकॉर्ड होना पाया गया है। चक 27 एएस पं.नं. 85/18, 85/34, 85/50, व चक 24 एएस–सी के पं. सं. 85/58 के प्रत्येक मुरब्बों के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मे रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। चक 27 एएस पं.नं. 85/18, 85/34, 85/50, व चक 24 एएस–सी के पं. सं. 85/58 के प्रत्येक मुरब्बों में दो–दो रास्ते दर्ज रिकॉर्ड है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, आपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.2023 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा अपीलाधीन रास्ते एवं उक्त मुरब्बों के किला नं. 1, 10, 11, 20 ,21 में वर्णित रास्तों के सम्बन्ध में परीक्षण कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.01.2025 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायलय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 06.12.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner